

नवीनीकरण अनुमति की जाँचसूची	
क्रम संख्या	विवरण
ए	जल अधिनियम के तहत विधिवत भरा हुआ फार्म नंबर : 13* ।
बी	वायु अधिनियम के तहत विधिवत भरा हुआ फार्म नंबर : 1* ।
सी	जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के तहत सहमति शुल्क का सिलवासा या दमण अदायगी वाला प्रदूषण नियंत्रण समिति के नाम से बना डिमांड ड्राफ्ट । #
डी	भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी सहित मूल्यहास के बिना पूंजी निवेश की जानकारी २० रूपए के स्टैम्प पेपर का नोटरी शपथ पत्र दे ।
ई	जल अधिनियम के तहत जारी “संचालन/ नवीनीकरण सहमति” आदेश की प्रतिलिपि ।
एफ	वायु अधिनियम के तहत जारी “संचालन/ नवीनीकरण सहमति” आदेश की प्रतिलिपि ।
जी	बहिः स्त्रावी उपचार संयंत्र से अभिक्रियानवित जल प्रवाह की छःमाही विश्लेषण रिपोर्ट ।
एच	धुआँरा निगरानी एवं परिवेश वायु गुणवत्ता (फैक्टरी परिसर के भीतर) की छःमाही निगरानी रिपोर्ट ।
आई	पर्यावरण (संरक्षण) 1989, नियम के तहत ३१ मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पर्यावरण विवरण फार्म-V के रूप में ।
जे	१. परिसंकटमय अपशिष्टों के संग्रहण/ ग्रहण/ अभिक्रियान्वयन/ परिवहन/ भंडारण व्यवस्था का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन । (फार्म-1) ## २. उद्योग विवरण पत्र प्रारूप (आईडीएसएफ)। ३. कब्जेदार या सुविधा ऑपरेटर द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थ के अभिलेख का प्रारूप । (फार्म-3) ४. पुनःचक्रण के लिए पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ प्रबंधन सुविधाएं रखने वाली औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण/ नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप । (फार्म-5) ५. पुनःचक्रणकर्ताओं द्वारा पुनःचक्रीत परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थों के वार्षिक रिटर्न एवं अभिलेख जमा करने हेतु प्रारूप । (फार्म-6) ६. परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थों के आयात एवं निर्यात का आलेख बनाने के लिए प्रारूप । (फार्म-10) ७. परिसंकटमय अपशिष्ट प्रकट । (फार्म-13)
के	पुनर्विनिकरण प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग (संशोधन) नियम, 2003 के तहत प्लास्टिक बैग एवं कंटेनर के निर्माण के पंजीकरण के लिए फार्म - 1 में आवेदन एवं पहले जारी की गई पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।

ध्यान दें।

१. सहमति के निपटारे की समय सीमा 90 दिनों की है।

२. सफेद श्रेणी उद्योगों को वायु अधिनियम के तहत आवेदन देना जरूरी नहीं है । (क्रम सं. बी)

* आवेदन फार्म भरते समय फार्म में कोई भी जगह खाली ना छोड़े और “परियोजना विवरण के अनुसार” एवं “जैसे पहले दिया था” या अन्य इसी तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें।

अधिसूचना नंबर पीसीसी/डीएमएन/13- iii/1999 दिनांक 03/05/1999 के अनुसूची-V के तहत डिमांड ड्राफ्ट द्वारा सहमती शुल्क भुगतान की संरचना भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी सहित मूल्यहास की गई है।

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, संभालना एवं सीमा गतिविधि) नियम, 2008 को देखें।